

उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डिस्ट्रियल  
डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड



१. प्रभारी, औबोगो (१)
२. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी/अधिशापी अग्रियन्ता  
उप्रोराओविनियोगिता,

यूपीएसआईडीसी काम्पलेज  
A-1/4 लखनऊ  
यागपुर - 203024  
दूरभाष : 0512-582851-53  
फैक्स : 0512-2580797  
वेबसाइट: [www.upside.com](http://www.upside.com)  
CIN-U26961SG002834

संदर्भ राख्या ४९१(१) एसआईडीसी/यूपीसीडा

दिनांक ५९/३/१८

विषय: यूपीसीडा के अधिसूचित औद्योगिक विकास क्षेत्रों में औद्योगिक भूखण्डों के संविलियन प्रस्तावों में संविलियन शुल्क के सम्बन्ध में।

### महोदय,

कृपया उप्रोरा राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) के सागरत अधिसूचित औद्योगिक विकास क्षेत्रों में प्राधिकरण की विकास योजनाओं/डीएल विकास योजनाओं में विकसित औद्योगिक भूखण्डों के संविलियन हेतु प्राधिकरण के निर्देशों राम्यन्धी अधोहस्ताक्षरी के पत्र सं० 132-163/एसआईडीसी/यूपीसीडा दिनांक 18.07.2017 का संदर्भ ग्रहण करें। उवत पत्र सं० 132-163/एसआईडीसी/यूपीसीडा दिनांक 29.01.2018 को सम्बन्ध 28वीं घैठक में लिये गये निर्णयानुसार प्राधिकरण के समस्त अधिसूचित औद्योगिक विकास क्षेत्रों में निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन की दशा में भूमि विकास एवं भवन विनियमन, 2018 में निर्धारित संविलियन शुल्क में छूट प्रदान करते हुये भूखण्डों का संविलियन निःशुल्क अनुमन्य किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है:-

१ उप्रोरा राज्य औद्योगिक विकास निगम लिंग की Operating Manual-2011 के अध्याय-२ में औद्योगिक भूखण्डों के आवंटन की प्रक्रिया/दिशा-निर्देशों में किये गये प्रावधान "Wherever the allotment is made by joining plots, the plots would be considered amalgamated. Normally the application for the size of individual plot shall hold precedence (preference) over the combined allotment. The case of application for combined plots can be only considered with specific reasons justifying such consideration and shall be got duly and separately approved from Head Office" के अनुसार प्राधिकरण में संविलियन शुल्क लागू करने की तिथि 29.05.2017 के पूर्व आवंटित किये गये हों।

निगम द्वारा उपरोक्तानुसार आवंटित भूखण्डों को उद्यमियों द्वारा एक ही औद्योगिक परियोजना की स्थापना के लिए औद्योगिक प्रयोजन हेतु अनुमन्य किया गया हो एवं } आवंटी द्वारा एक ही औद्योगिक परियोजना हेतु उपयोगित किया गया हो।

उपरोक्तानुसार आवंटित भूखण्डों के किसी भी भू-भाग को आवंटी द्वारा हस्तांतरित किया जाना अनुमन्य नहीं होगा जब तक कि प्राधिकरण के उप विभाजन हेतु निर्धारित योजना मानकों के अनुसार संदर्भित भू-भाग का नये भूखण्ड के रूप में सृजन अनुमन्य न कर दिया गया हो।

(2)

क्षेत्रीय कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले यूपीसीडा के अधिसूचित औद्योगिक विकास क्षेत्रों के प्रचलित तलपट मानविक्री/विकास योजना में दर्शाये गये औद्योगिक भूखण्डों के संविलियन प्रस्ताव में उपरोक्तानुसार संविलियन शुल्क में छूट हेतु परीक्षणोपरान्त उपयुक्त पाये गये प्रस्तावों को पात्रता से सम्बन्धित सामरत्त प्रपत्रों राहित स्पष्ट संस्तुति करते हुए ओ0क्षे0 अनुमान, मुख्यालय के गाध्यम से मुख्य कार्यपालक अधिकारी—यूपीसीडा के अनुमोदनार्थ संविलियन प्रस्ताव नेजना सुनिश्चित करें। प्राधिकरण की दिनांक 29.01.2018 को सम्पन्न 28वीं बैठक की कार्यवृत्त संदर्भ हेतु संलग्न है।

भवदीय,

संलग्नक: यथोक्ता।

(पंकज पाण्डेय)

वरि0 प्रबन्धक(परि0) एवं प्रभारी—यूपीसीडा

संदर्भ संख्या

/एसआईडीसी/यूपीसीडा

दिनांक

प्रतिलिपि: प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ0प्र0रा0आ०वि0नि0लि0, कानपुर को सूचनार्थ भेजित।

(पंकज पाण्डेय)

वरि0 प्रबन्धक(परि0) एवं प्रभारी—यूपीसीडा